

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

ई-मेल द्वारा

पत्रांक 1219 / 14-1 दिनांक, मुरादाबाद 07 / 11 / 2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय :-

जनपद बिजनौर में बिजनौर एवं नजीबाबाद वन प्रभाग के अन्तर्गत Construction of 4-lanning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to kotdwar pauri road in the state of Uttar Pradesh under Bharatmala Pariyojna Lot-4 package-2 from Ch.0.000 to 5.900 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभागीय वनाधिकारी नजीबाबाद के अन्तर्गत प्रभावित 4.61 हे० आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1238 वृक्ष एवं सा०वा० प्रभाग, बिजनौर के अन्तर्गत प्रभावित 0.66 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 121 वृक्ष अर्थात् कुल 5.27 हे० संरक्षित एवं आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1359 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
(File No.- FP/UP / Road / 157011/2022)

सन्दर्भ :-

आपकी पत्र संख्या-952/11-सी, दिनांक 08.10.2024

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, नजीबाबाद ने अपनी पत्र संख्या-1256/4-1, दिनांक 23-10-2024 एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर ने अपनी पत्र संख्या-2308/4-1, दिनांक 29-10-2024 द्वारा विषयगत वांछित सूचना/अभिलेख ऑनलाईन अपलोड कर प्रेषित किया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, नजीबाबाद एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर द्वारा ऑनलाईन उपलब्ध कराये गये विषयगत वांछित सूचना/अभिलेख सहमति सहित ऑनलाईन इस आशय से प्रेषित है कि कृपया विषयक प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक- 1219 / 14-1, उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:-

1-मुख्य वन संरक्षक, रूहेलखण्ड जोन, उ०प्र०, बरेली को सूचनार्थ प्रेषित।

2-प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी, नजीबाबाद एवं बिजनौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद
पत्रांक 1256 / 4-1 दिनोंक नजीबाबाद 23-10-2024

Downloaded by email

सेवा में

विषय:-

संदर्भ:-

महोदय,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक

सा0वा0 मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद,

Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad- Kotdwar to Kotdwar Pauri road in the state of Uttar Pradesh under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pckage-2 from Ch. 0 + 000 to 5+900 under forest division Najibabad. Online Proposal No. FP/UP/ROAD/ 157011/2022

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक 952/11-सी दिनोंक 08.010.2024 एवं Online Proposal No. FP/UP/ROAD/ 157011/2022

उपरोक्त संदर्भित ऑनलाइन सबमिशन जनपद बिजनौर में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई नजीबाबाद के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में नजीबाबाद- कोटद्वार को कोटद्वार पौड़ी मार्ग उत्तराखण्ड से जोड़ने वाले सा0रा0मार्ग संख्या-119 के कोटद्वार बाईपास के 4 लेन का निर्माण कार्य वन प्रभाग नजीबाबाद के अन्तर्गत चौड़ीकरण कार्य में प्रभावित 4.61 हे० आरक्षित वन भूमि का गैरवानिकी कार्य में उपयोग किया जाना है।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 यथा संशोधित की धारा-2 के अन्तर्गत 4.61 हे० आरक्षित वन भूमि के भूमि हस्तान्तरण कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रही है। कृपया उपरोक्तानुसार भूमि हस्तान्तरण की मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ को भेजने की कृपा करें।

भवदीय,

(वज्जना)

प्रभागीय वनाधिकारी

बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

नही दय,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक 952/11-सी-FP/UP/ROAD/157011/2022 दिनांक 08.10.2024 के द्वारा लगाई गयी ई0डी0एस0 का निराकरण कर बिन्दुवार प्रेषित है:-

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	Copy of Working plan prescription for the forest land proposed for diversion अपलोड नहीं है। अतः प्रभागीय निदेशक, द्वारा सत्यापित अपलोड करें।	Copy of Working plan prescription for the forest land proposed for diversion का प्रभागीय निदेशक के द्वारा सत्यापित कर प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है।
2	याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र अपलोड नहीं है।	याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है।
3	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा CA हेतु दी जाने वाली गैर वनभूमि के सम्बन्ध में शासन के पत्रांक VIP-23/14-2-2019-190 जी/2018 दिनांक 28.06.2019 के क्रम में उपजिलाधिकारी/वन बन्दोबस्त अधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा CA हेतु दी जाने वाली गैर वनभूमि के सम्बन्ध में शासन के पत्रांक VIP-23/14-2-2019-190 जी/2018 दिनांक 28.06.2019 के क्रम में उपजिलाधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है।
4	एन0पी0वी0 की गणना अपलोड है, किन्तु समेकित दोनों वन प्रभागों की एक साथ गणना की गयी है, जो सही नहीं है। अतः अलग-अलग वन प्रभागों की गणना अपलोड करें।	एन0पी0वी0 की गणना अलग कर अपलोड कर दी गयी है।
5	अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने एवं आवेदित वनभूमि की मांग न्यूनतम होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र अपलोड नहीं है।	अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने एवं आवेदित वनभूमि की मांग न्यूनतम होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है।
6	प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति (भाग-2 में) अपलोड नहीं है।	प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति (भाग-2 का प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है।
7	प्रस्ताव की एक सिंगल पी0डी0एफ0 फाईल अपलोड नहीं है।	प्रस्ताव की एक सिंगल पी0डी0एफ0 फाईल अपलोड कर दी गयी है।
8	प्रभागीय वनाधिकारी, का कवरिंग पत्र अपलोड नहीं है।	प्रभागीय वनाधिकारी, का कवरिंग पत्र अपलोड कर दिया गया है।
9	प्रस्ताव की एक सिंगल पी0डी0एफ0 फाईल अपलोड नहीं है। अतः उपरोक्तानुसार संशोधित पी0डी0एफ0 फाईल ऑनलाईन भाग-2 में अपलोड करें।	सिंगल पी0डी0एफ0 फाईल संशोधित कर भाग-2 में अपलोड कर दी गयी हैं।

(व्यक्ति)

प्रभागीय वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग विजनौर
पत्रांक 2308/14-1 विजनौर दिनांक अक्टूबर, 29, 2024
सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक

गुरादाबाद तालुका, गुरादाबाद।

विषय:- जमपट्टा विजनौर में विजनौर एवं नजीबाबाद वन प्रभाग में अन्तर्गत Construction of 4-laning of kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad- Kotdwar to kotdwar - pauri road in the State of Uttar pradesh under Bharatmala Pariyojna Lot-4 package-2 from ch.0.000 to 5.900 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभागीय वनाधिकारी नजीबाबाद के अन्तर्गत प्रभावित 4.61 हे० आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 1238 वृक्ष एवं विजनौर वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित 0.66 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 121 वृक्ष अर्थात् कुल 5.27 हे० आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1359 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ROAD/157011/2022

सन्दर्भ:- मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक 952/11-सी दिनांक 08.10.2024 उपरोक्त सन्दर्भित मांगी गयी सूचना निम्न प्रकार प्रेषित है:-

Obs.N o.	Observation	Reply
1	2	3
1.	Copy of working plan prescription for the forest land proposed for diversion अपलोड नहीं है। अतः प्रभागीय निदेशक, द्वारा सत्यापित अपलोड करे।	Copy of working plan prescription for the forest land proposed for diversion अपलोड कर दी गयी है।
2.	प्रयोक्ता एजेसी द्वारा CA हेतु दी जाने वाली गैर वनभूमि के संबंध में शासन के पत्रांक-VIP-23/ 14-2-2019-190 जी / 2018 , दिनांक 28. 06.2019 के क्रम में उपजिलाधिकारी/वन बंदोबस्त अधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण-पत्र।	प्रभागीय वनाधिकारी विजनौर से संबंधित है।
3.	एन०पी०डी० की गणना अपलोड नहीं है।	एन०पी०डी० की गणना अपलोड कर दी गयी है।
4.	अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने एवं आवेदित वनभूमि की मांग न्यूनतम होने संबंधी प्रमाण-पत्र अपलोड नहीं है।	अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने एवं आवेदित वनभूमि की मांग न्यूनतम होने संबंधी प्रमाण-पत्र अपलोड दिया गया है
5.	प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति (भाग-2 में) अपलोड नहीं है।	प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति (भाग-2 में) अपलोड कर दी गयी है।
6.	प्रस्ताव की एक सिंगल पी०डी०एफ० फाईल अपलोड नहीं है।	प्रस्ताव की एक सिंगल पी०डी०एफ० फाईल अपलोड कर दी गयी है।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
विजनौर